

**प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट**

प्रपत्र – "अ"

**विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4848**

| स. क्र | विधानसभा क्षेत्र का नाम | मार्ग का नाम                                 | प्रशासकीय स्वीकृति का पत्र क्र. एवं दिनांक  | कार्य पूर्ण करने का वर्ष | पुलिया एवं सड़क निर्माण के अधूरे कार्य का विवरण | पुलिया एवं सड़क का कार्य अधूरे रहने का कारण  | विभाग द्वारा छूटी हुई पुलिया एवं सड़क के अधूरे कार्य पूर्ण करने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण   |
|--------|-------------------------|--|---|--------------------------|---|--|---|
| 1      | 2                       | 3  | 4   | 5                        | 6   | 7  | 8   |
| 1      | 169 कालापीपल            | मनसाया-सेमलिया-बड़बेली मार्ग                 | म.प्र. शासन लो.नि.वि. भोपाल के पत्र क्र. 3674 /743, दिनांक 03.06.08 से राशि रु. 257.51 लाख  | 31.05.12                 | शेष 400 मी. में सी.सी. कार्य                    | स्वीकृत प्राक्कलन में सी.सी. मार्ग का प्राक्कलन नहीं होने के कारण  | पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रु. 259.47 लाख का तैयार कर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग शाजापुर के पत्र क्र. 2872 दिनांक 11.08.2015 से अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मण्डल उच्चायुक्त को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें शेष 400 मीटर में सी.सी. मार्ग का प्राक्कलन राशि रु. 53.05 लाख का सम्मिलित है।<br><b>। जो परीक्षणधीन है।</b> |
| 2      | 169 कालापीपल            | कालापीपल-कुरावर मार्ग से चाकरोद-हिराना मार्ग | म.प्र. शासन लो.नि.वि. भोपाल के पत्र क्र. 3674 /743, दिनांक 03.06.08 से राशि रु. 240.00 लाख  | 31.05.12                 | शेष 500 मी. में सी.सी. कार्य                    | भू-अर्जन का केस उस पर कोर्ट स्टैय है। भू-अर्जन पत्रक तैयार करने हेतु तहसीलदार कालापीपल को अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उपसंभाग शुजालपुर द्वारा उनके पत्र क्र. 700 दिनांक 16.05.2013 एवं 929 दिनांक 19.06.2013 तथा 897 दिनांक 24.06.2014, 25 दिनांक 06.01.2016 द्वारा लेख किया गया है। भू-अर्जन पत्रक तैयार नहीं होने के कारण विवादित 500 मी. में निर्माण कार्य नहीं हो सका। | पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रु. 166.59 लाख का तैयार कर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग शाजापुर के पत्र क्र. 3190 दिनांक 08.08.2015 से अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मण्डल उच्चायुक्त को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें शेष 500 मीटर में सी.सी. मार्ग का प्राक्कलन राशि रु. 27.95 लाख का सम्मिलित है।<br><b>। जो परीक्षणधीन है।</b> |
| 3      | 169 कालापीपल            | साल्या-देवली मार्ग                           | म.प्र. शासन लो.नि.वि. भोपाल के पत्र क्र. 7329 /5718, दिनांक 07.12.07 से राशि रु. 124.07 लाख | 15.05.12                 | देवली ग्राम में सी.सी. मार्ग                    | स्वीकृत प्राक्कलन में सी.सी. मार्ग का प्राक्कलन नहीं होने के कारण  | ग्राम देवली में सी.सी. मार्ग का प्राक्कलन लागत राशि रु. 56.17 लाख का अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मण्डल उच्चायुक्त के पत्र क्र. 56 दिनांक 06.01.2016 से मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. परिक्षेत्र उच्चायुक्त को प्रेषित किया गया है। जो परीक्षणधीन है।   |
| 4      | 169 कालापीपल            | पोलायकला से रनायल मार्ग                      | म.प्र. शासन लो.नि.वि. भोपाल के पत्र क्र. 3476 /3426, दिनांक 01.06.06 से राशि रु. 772.24 लाख | 16.01.10                 | कि.मी. 1 / 6 एवं 15 / 2 में पुलिया शेष          | स्वीकृत प्राक्कलन में पुलिया निर्माण का प्राक्कलन नहीं होने के कारण  | पुलिया निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन लागत राशि रु. 21.20 लाख एवं 16.35 लाख का अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मण्डल उच्चायुक्त के पत्र क्र. 1613 दिनांक 17.09.14 एवं 1566 दिनांक 15.09.14 से मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. परिक्षेत्र उच्चायुक्त को प्रेषित किया गया है। जो परीक्षणधीन है।  |

[ 8/3/2016 ]